

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

राधा देवी पत्नी शैतान गुर्जर नि. कराड़ खेड़ी  
बनाम

शैतान पिता नाना गुर्जर नि. कराड़ खेड़ी वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए.

मुकदमा नं. 769 / 23

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो हुक्म की  
तामील में जारी हुये

5.07.23

प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम कराड़ खेड़ी प. ह. टीटोड़ा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 234 रकबा 0.4856 हेक्टेयर, आ. न. 243 रकबा 0.0809 हेक्टेयर, आ. न. 244 रकबा 0.1295 हेक्टेयर कुल कित्ता 03 रकबा 0.6960 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।

अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम कराड़ खेड़ी प. ह. टीटोड़ा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 234 रकबा 0.4856 हेक्टेयर, आ. न. 243 रकबा 0.0809 हेक्टेयर, आ. न. 244 रकबा 0.1295 हेक्टेयर कुल कित्ता 03 रकबा 0.6960 हेक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।

आदेश आज दिनांक 5.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर(भीलवाडा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक/रीडर/2023/769/2023


दिनांक :- 5.07.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 769/2023 अनवान राधा देवी पत्नी शैतान गुर्जर नि. कराड़ खेड़ी बनाम शैतान पिता नाना गुर्जर नि. कराड़ खेड़ी, छीतर पुत्र नाना गुर्जर नि. कराड़ खेड़ी, जयलाल पुत्र हरदेव गुर्जर नि. कराड़ खेड़ी, करणा पुत्र कालु गुर्जर नि. कराड़ खेड़ी, भेरु लाल पुत्र रूपा गुर्जर नि. कराड़ खेड़ी, प्रहलाद पुत्र शैतान गुर्जर नि. कराड़ खेड़ी, जयलाल पुत्र नाना गुर्जर नि. कराड़ खेड़ी, तहसीलदार जहाजपुर वगैरा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम कराड़ खेड़ी प. ह. टीटोड़ा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 234 रकबा 0.4856 हेक्टेयर, आ. न. 243 रकबा 0.0809 हेक्टेयर, आ. न. 244 रकबा 0.1295 हेक्टेयर कुल कित्ता 03 रकबा 0.6960 हेक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योग में पेश करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (भीलवाडा)